आखिरी जांच: 25 सितंबर 2026 · Department of Agriculture and Farmers Welfare

Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY)

छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन। 18 से 40 साल की उम्र में जुड़ें, हर महीने थोड़ी रकम भरें, और 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपये पाएं।

क्या मिल सकता है

60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की तय पेंशन। किसान की मृत्यु पर जीवनसाथी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलता है। किसान जुड़ने की उम्र के हिसाब से हर महीने 55 से 200 रुपये भरता है और केंद्र सरकार उतनी ही रकम जोड़ती है।

किसके लिए है

18 से 40 साल के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास भू अभिलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती की ज़मीन है और जो बाहर रखे गए समूहों में नहीं हैं।

मुख्य शर्तें

- जुड़ते समय उम्र 18 से 40 साल।
- भू अभिलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती की ज़मीन।
- यह स्वैच्छिक योजना है। मासिक योगदान 60 साल की उम्र तक चलता है।
- बाहर रखे गए समूह पात्र नहीं, जैसे आयकर देने वाले, सरकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी को छोड़कर), प्रैक्टिस करने वाले पेशेवर, या NPS, ESIC, EPFO, PM-SYM या PM-LVM में पहले से जुड़े किसान।

दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाते की जानकारी

आवेदन कैसे करें

1. अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक या खाते की जानकारी के साथ नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं।
2. CSC का ग्राम स्तरीय उद्यमी आपके आधार, नाम, जन्म तारीख और जीवनसाथी की जानकारी से ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करता है।
3. आप सहमति दें तो मासिक योगदान PM-KISAN के लाभ से भरा जा सकता है। नहीं तो वह आपके बैंक खाते से कटता है।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://agriwelfare.gov.in/sites/default/files/OG-PMKMY_ENG.pdf
आधिकारिक PDF: https://agriwelfare.gov.in/sites/default/files/OG-PMKMY_ENG.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/pm-kisan-maandhan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।